निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 1462) पटना, बुधवार, 3 सितम्बर 2025

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

अधिसूचना
2 सितम्बर 2025

सं० वि.प.स्था.-73/2024(नी.वि.)-2672(2) /वि.प.--बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 3 के उप नियम (क) एवं (ख) के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों में, वित्त विभाग के परामर्श से, सभापति, बिहार विधान परिषद् इस नियमावली की अनुसूची-1 एवं 2 में निम्नवत् संशोधन करते है-

1. अनुसूची-2 के पारा से 'हिन्दी प्रकाशन', 'सहायक (हिन्दी प्रकाशन), सहायक (हिन्दी प्रूफ)', 'प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रकाशन)' शब्द विलोपित किए जाते हैं।

2. अनुसूची-2 के क्रम सं.- 1, 9, 11,16, 17, 20 एवं 22 पर अंकित पदों को इस अनुसूची से विलोपित करते हुए पद संख्या के साथ अनुसूची-1 के अनुवादक संवर्ग में निम्नरूपेण जोड़ा जाता है।

1. अनुसूची-1 के क्रम सं. 16. सहायक (उर्दू सॉफ्टवेयर) को क्रम सं. 15 (च) तथा क्रम सं.-15 (च) अनुवादक (अंग्रेजी/ हिन्दी) को क्रम सं.-16 (च) किया जाता है।

अनुवादक संवर्ग

क्र.सं.	पदनाम	वर्गीकरण	वेतनमान	पदों को भरे जाने का अनुपात		बहाली की रीति तथा नियुक्ति हेतु अर्हता	स्वीकृत बल
				प्रोन्नति	सीधी भर्त्ती		
16. (क)	अवर सचिव (हिन्दी अनुवाद)	समूह- 'क' राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-11	100%	--	परिषद् सचिवालय में कार्यरत अनुवादक संवर्ग के ऐसे व्यक्तियों में से जो प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी अनुवाद) की श्रेणी में कम-से-कम पांच वर्ष की सेवा में	01 (एक)

						रहे हों या जो संयुक्त सेवाओं में प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी अनुवाद) और हिन्दी विशेषज्ञ की श्रेणी में तेरह वर्ष रहे हों।	
16. (ख)	प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रकाशन)	समूह-'ख' राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-9	100%	-	परिषद् सचिवालय में कार्यरत अनुवादक संवर्ग के ऐसे व्यक्तियों में से जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रकाशन)/ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रूफ) की श्रेणी में कम-से-कम चार वर्ष सेवा में रहे हों।	01 (एक)
16. (ग)	प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी अनुवाद)	समूह-'ख' राजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-9	100%	-	परिषद् सचिवालय में अनुवादक संवर्ग के ऐसे व्यक्तियों में से जो हिन्दी विशेषज्ञ की श्रेणी में कम-से-कम आठ वर्ष सेवा में रहे हों।	01 (एक)
16. (घ)	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रकाशन)	समूह-'ख' अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-7	--	100%	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मुख्य विषय हिन्दी के साथ स्नातक की उपाधि या समकक्ष हो। पंजीकृत संस्था से संपादन एवं हिन्दी प्रूफ रीडिंग का एक वर्ष का अनुभव। हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का अनुभव। **वांछित योग्यता**- नियम 9(ख) के अनुसार।	06 (छः)
16. (ड़)	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी प्रूफ)	समूह-'ख' अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-7	--	100%	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मुख्य विषय हिन्दी के साथ स्नातक की उपाधि या समकक्ष हो। हिन्दी प्रूफ रीडिंग का न्यूनतम एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का अनुभव। **वांछित योग्यता**- नियम 9(ख) के अनुसार।	04 (चार)

16. (च)	अनुवादक (अंग्रेजी/ हिन्दी)	समूह-'ख' अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-7	--	100%	बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्त्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में यथाविनिर्दिष्ट रीति एवं अर्हता।	01 (एक)
16. (छ)	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (हिन्दी सॉफ्टवेयर)	समूह- 'ख' अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-7	--	100%	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मुख्य विषय कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी/ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन में स्नातक या समकक्ष की उपाधि हो अथवा उपर्युक्त वर्णित तकनीकी विषयों में स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष की उपाधि हो। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में कार्यसाधक ज्ञान।	02 (दो)
16. (ज)	हिन्दी विशेषज्ञ	समूह- 'ख' अराजपत्रित	वेतन संरचना में वेतन स्तर-6	--	100%	खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा उन प्रत्याशियों के बीच से जिनके पास राज्य सरकार या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मुख्य विषय हिन्दी के साथ स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष हो। हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का अनुभव। **वांछित योग्यता**- नियम 9(ख) के अनुसार।	01 (एक)

शेष यथावत रहेगा।

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से,
अखिलेश कुमार झा,
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1462-571+100-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in